यालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

ठासीन अधिकारी :– रेखा गुर्जर, आर.ए.एस.

कदमा नम्बर 28 / 2026 प्रार्थनापत्र

01. इन्द्रा पुत्री श्री सोहन नाथ जोगी आयु वयस्क निवासी–रेह तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
02. चांदी देवी पत्नी सोहन नाथ जोगी आयु वयस्क निवासी–रेह तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
03. तारा देवी पुत्री श्री सोहन नाथ जोगी आयु वयस्क निवासी–रेह तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
04. पिन्टू देवी पुत्री श्री सोहन नाथ जोगी आयु वयस्क निवासी रेह तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
05. भगवान नाथ पुत्र श्री सोहन नाथ जोगी आयु वयस्क निवासी रेह तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
06. रामेश्वर नाथ पुत्र श्री सोहन नाथ जोगी आयु वयस्क निवासी रेह तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
07. रोशननाथ श्री सोहन नाथ जोगी आयु वयस्क निवासी रेह तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

—–प्रार्थीगण

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

—–विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 129,131,136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

थत :–

अशोक कुमार लखारा —अधिवक्ता प्रार्थी 01लगायत 07

रोकार सरकार —अधिवक्ता–विपक्षी

दिनांक– 11.05.2026

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने धारा 136 लैण्ड़ रेवेन्यू एक्ट का ापत्र इस आशय का पेश किया कि वाके ग्रांम रेह पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र तहसील करेडा जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 1365 / 121 रकबा 1.0749 हैक्टयर भूमि जो व रेकार्ड मे प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज हुई है। जो कि लठ्ठाशीट मे तरमीम है, उसी अनुसार मौके ाबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। भूमी स्थित होकर खातेदारी के ें कब्जा कायम करके कास्त के रूप में उपयोग उपभोग में ली जा रही है। जिसकी जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ है। जिस पर प्रार्थी काबिज होकर कृर्षि कास्त करते चले आ रहे है जिसकी न्दी की नकल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त प्रार्थी की आराजियात में जमाबन्दी सम्वत् 2073 76 के आराजी नम्बर 1365 / 121 रकबा 1.0749 हेक्टयर भूमि जो की प्रार्थीया ने हाल ही में उक्त का सीमांकन कराने हेतु पटवार हल्का के पास गया तो जानकारी में आया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ति पडोस व कब्जे अनुसार तरमीम नही होकर गलत है। विपक्षीगण को भी तरमीम दुरूस्त कराने वेदन किया गया , जिस पर विपक्षी द्वारा सक्षम न्यायालय मे चारजोही करने की हितायत दी गई। ारण धारा 136 एल0 आर0 ए0 के तहत सक्षम न्यायालय मे वाद पत्र / प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने लाह जिस बिनाय पर प्रार्थना–पत्र हेतुक उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी हैं।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व विपक्षी को नोटिस जारी किया गया व विपक्षी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। जिसे शामिल पत्रावली की गई। जवाब पेश नही करना चाहा गया मौका ही जवाब होना बताया गया।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते राजस्व जमाबंदी के अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम हेतु निवेदन किया गया।

दोनो पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं दस्तावेजात रेकार्ड का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व जमाबंदी अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम नही है। पटवार हल्का के मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शे अनुसार तरमीम होने पक्षकारो के हितो पर विपरीत प्रभाव नही पडेगा। अतः मौका रिपोर्ट मे वर्णितानुसार तरमीम करवाया जाना कराया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। एवं

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर वाके ग्राम रेह पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र की तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 1365/121 रकबा 1.0749 हैक्टयर भूमि राजस्व नक्शे मे पटवार हल्का मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शे अनुसार व वर्णितानुसार तरमीम की जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर मय पटवार हल्का नक्शा जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। तहसीलदार करेडा से प्राप्त प्रस्तावित नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रेखा गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)